(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 10/2024–25
दिनांक: 04 मई, 2024

विषय: प्याज की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 07 में प्याज की निर्यात नीति को निम्नानुसार संशोधित करती है।

प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	नीतिगत शर्त	संशोधित निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
0703 10 19	प्याज	निषिद्ध	शून्य	मुक्त	**निर्यात** 550 प्रति मीट्रिक टन (मी.ट.) अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) के अधीन है।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव:**

प्याज की निर्यात नीति तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक 550 प्रति मीट्रिक टन (मी.ट.) अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन 'निषिद्ध' से संशोधित करके 'मुक्त' की गई है।

संतोष कुमार सारंगी
4.5.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/060/एएम–24/ईसी/ई–38291 से जारी)